

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(18)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक 28/3/23

:: आदेश ::

श्री अशोक शर्मा, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं03, जयपुर महानगर प्रथम का जिला उपभोक्ता विभाग प्रतितोष आयोग में अध्यक्ष पद पर चयन होने के कारण इनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 14.03.23 के क्रम में श्री अशोक शर्मा, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं03, जयपुर महानगर प्रथम का दिनांक 16.03.23 मध्यान्ह पश्चात से त्याग पत्र एतद्द्वारा स्वीकार किया जाता है।


आज्ञा से,

३०
(हिमांकनी गौड़)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (जीएसवाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम।
- 8 अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं03, जयपुर महानगर प्रथम।
- 9 जिला कलक्टर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं03, जयपुर महानगर प्रथम के पद पर नियुक्ति हेतु जिला एवं सेशन न्यायाधीश जयपुर महानगर प्रथम की अनुशंसा/ परामर्श उपरान्त कम से कम 03 अधिकतम सम्भवत 05 योग्य अभिभाषकों का पैनल मय बायोडाटा एवं घोषणा पत्र के साथ अविलम्ब इस विभाग को भिजवायें साथ ही उक्त पद पर नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेशों तक इनके लिंक अभियोजक को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सं03, जयपुर महानगर प्रथम में राज्य की ओर से समुचित पैरवी करने हेतु निर्देशित करते हुये संबंधित न्यायालय व इस विभाग को अवगत करावें।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 14 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।


(हिमांकनी गौड़)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण